न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 108/17 उपनिवेशन विविध

सागरराम पुत्र बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी फूलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. धनाराम पुत्र श्री कोजाराम जाति बिश्नोई साकिन फूलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम विश्नोई ।
2. अप्रार्थी हाजिर नहीं ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 09.10.19

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 सी डबल्यू बी 'ए' पटवार मण्डल फूलासर बड़ा के मु.नं. 106/61 के किला नं. 15,16,24,25 की 4 बीघा कमाण्ड इसी मुरब्बा के किला नं0 11, 18 ता 23 की 7 बीघा कमाण्ड व किला नं. 3,4,7 ता 9, 12, 13 की 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 14 बीघा भूमि स्थिति है व शेष भूमि किला नं. 1,2,5,6,10,14,7 की 7 बीघा गैर मुमकिन धोरा पाल राजस्व रिकार्ड में अंकित है। गैर मुमकिन धोरा पाल भूमि आवंटन योग्य नही है। भूमि स्माल पैच की न होकर मीडियम पेच की श्रेणी में आती है। अधीनरथ न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है। अतः आवंअन निरस्त किया जावे।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. तदन्तर प्रार्थी अधिवक्ता की ईकतरफा बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जावे। प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में हम यह उचित समझते है कि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में किए गये आवंटन की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित निर्णय पारित करे। मूल आवंटन पत्रावलियां उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्णय प्रति के साथ भिजवायी जावे।

7. आदेश आज दिनांक **09.10.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर